ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए स्वास्थ्य सेवा: गेटकीपिंग से जेंडर-अफर्मिंग केयर

UPSC प्रासंगिकता; GS पेपर II: शासन (Governance), सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य नीति **GS पेपर IV:** स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता, गरिमा, सहानुभूति, व्यावसायिक नैतिकता **निबंध पत्र:** सामाजिक न्याय, समावेश, देखभाल की नैतिकता **साक्षात्कार:** संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत पूर्वाग्रह को संभालना

चर्चा में क्यों? मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं सहित हालिया चर्चाओं और कानूनी हस्तक्षेपों ने भारत में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में ट्रांसजेंडर पुरुषों और जेंडर-विविध व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली निरंतर बाधाओं को उजागर किया है। ट्रांसजेंडर अधिकारों की संवैधानिक मान्यता के बावजूद, सीमित अनुसंधान, चिकित्सा पेशेवरों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और अनैतिक प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य सेवा वितरण बाधित बना हुआ है।

पृष्ठभूमि: भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा नालसा बनाम भारत संघ (2014) के फैसले के बाद भारत ने एक महत्वपूर्ण मानक बदलाव किया, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत स्व-पहचाने गए लिंग को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसके बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करने और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हालांकि, धरातल पर ट्रांसजेंडर पुरुष अभी भी इनका सामना कर रहे हैं:

- गलत जेंडर का संबोधन (Misgendering) और कलंक
- मनोरोग संबंधी गेटकीपिंग (Psychiatric gatekeeping)
- चिकित्सकीय रूप से आवश्यक प्रक्रियाओं से इनकार
- बाइनरी और हेटेरोनॉर्मेटिव मॉडल पर आधारित स्वास्थ्य प्रणाली कानूनी मान्यता और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर मुख्य चुनौती है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

स्वास्थ्य सेवा पहुंच में प्रमुख चुनौतियां

1. चिकित्सा गेटकीपिंग और पैथोलॉइजेशन (Pathologisation) स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अक्सर जेंडर असंगति (Gender incongruence) को मानव पहचान की प्राकृतिक भिन्नता के बजाय एक मानसिक विकार के रूप में देखते हैं। उपचार तक पहुंच अक्सर इन शर्तों पर निर्भर की जाती है:

- जेंडर डिस्फोरिया (Gender dysphoria) का मनोरोग निदान
- "पर्याप्त ट्रांस" होने का प्रमाण यह दृष्टिकोण:
- रोगी की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है
- इस बात की उपेक्षा करता है कि सभी जेंडर-विविध व्यक्ति डिस्फोरिया का अनुभव नहीं करते हैं
- स्वास्थ्य सेवा को अधिकार के बजाय विशेषाधिकार में बदल देता है

2. अनैतिक और अवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियां विशेषज्ञों ने चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन करने वाली निरंतर प्रथाओं पर प्रकाश डाला है, जैसे:

- अनावश्यक योनि परीक्षण (Vaginal examinations)
- स्पष्ट आपत्तियों के बावजूद रोगियों को अपने शरीर को उजागर करने के लिए मजबूर करना
- प्रजनन के बारे में पितृसत्तात्मक धारणाओं के आधार पर गर्भाशय हटाने (Hysterectomy) से इनकार ऐसी प्रथाएं उल्लंघन करती हैं:
- चिकित्सा नैतिकता (अहानिकरता और गरिमा)
- अनुच्छेद 21 - गरिमा के साथ जीवन का अधिकार

3. पितृसत्तात्मक और हेटेरोनॉर्मेटिव पूर्वाग्रह कई चिकित्सा निर्णय इनसे प्रभावित होते हैं:

- स्वीकृत जेंडर के बजाय जन्म के समय निर्धारित लिंग
- एक प्रजनन-उन्मुख दृष्टिकोण जो रोगी की पसंद के बजाय बच्चे पैदा करने को प्राथमिकता देता है उदाहरण के लिए, उन ट्रांस पुरुषों के लिए हिस्टेरेक्टॉमी करने से इनकार करना जिनके बच्चे नहीं हैं, नैतिक पुलिसिंग को दर्शाता है, नैदानिक तर्क को नहीं।

4. अनुसंधान की कमी और ज्ञान का अभाव एक प्रमुख संरचनात्मक मुद्दा जेंडर-अफर्मिंग केयर (लिंग-पुष्टि देखभाल) पर भारत-विशिष्ट शोध की अनुपस्थिति है। परिणामस्वरूप:

- चिकित्सा पेशेवरों के पास हार्मोन थेरेपी के दौरान टीकाकरण जैसे मुद्दों पर स्पष्टता की कमी है
- उपचार के निर्णय साक्ष्य के बजाय अनिश्चितता और भय से निर्देशित होते हैं इसके अलावा, ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में अधिकांश प्रगति ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देशों) में हुई है, जिससे भारत में इसकी प्रासंगिकता सीमित हो जाती है।

5. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का अपर्याप्त प्रशिक्षण अच्छी नीयत वाले डॉक्टरों में भी अक्सर कमी होती है:

- जेंडर-अफर्मिंग केयर में औपचारिक प्रशिक्षण
- मानकीकृत, साक्ष्य-आधारित प्रोटोकॉल का अनुभव इसके परिणामस्वरूप उपचार में विसंगति, प्रदाताओं के बीच असहजता और रोगियों के बीच अविश्वास पैदा होता है।

उठाए गए कदम और उभरती प्रगति

1. नीति-स्तरीय परिवर्तन

- सरकारी जेंडर क्लीनिकों में कपड़ों की पसंद की पुलिसिंग जैसी कुछ प्रतिगामी प्रथाओं को त्याग दिया गया है
- तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण शुरू किया है

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

2. न्यायिक हस्तक्षेप

- मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2024 की एक याचिका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रोटोकॉल में सुधार की मांग करती है
- न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) में सुधार का सुझाव देने की अनुमति दी है प्रशासनिक सुधार के अभाव में न्यायिक निगरानी एक सुधारात्मक तंत्र के रूप में उभरी है।

क्या बदलने की जरूरत है: आगे की राह

IAS-PCS Institute

1. गेटकीपिग से अफर्मेटिव केयर की ओर बदलाव

- स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सूचित सहमति और जेंडर असंगति पर निर्भर होनी चाहिए, न कि मनोरोग प्रमाणन पर
- चिकित्सा पद्धति में जेंडर पहचान को 'बीमारी' (De-pathologised) के रूप में देखना बंद करना चाहिए

2. साक्ष्य-आधारित और मानकीकृत प्रोटोकॉल

- जेंडर-अफर्मिंग केयर के लिए सहकर्मी-समीक्षित (Peer-reviewed), भारत-विशिष्ट SOPs विकसित करें
- स्थानीय संदर्भों के अनुसार ढालते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करें

3. चिकित्सा पेशेवरों का संरचित प्रशिक्षण इन स्तरों पर अनिवार्य संवेदीकरण और नैदानिक प्रशिक्षण:

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- मेडिकल कॉलेज
- सेवाकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- चिकित्सा पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा को शामिल करना

4. समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा मॉडल

- स्वास्थ्य सेवा वितरण के हिस्से के रूप में जीवंत अनुभव वाले व्यक्तियों (Transgender persons) को शामिल करें
- इससे विश्वास बढ़ता है, कलंक कम होता है और नीतिगत जवाबदेही में सुधार होता है

5. स्वास्थ्य सेवा को संवैधानिक नैतिकता के साथ जोड़ना स्वास्थ्य संस्थानों को संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए:

- समानता (अनुच्छेद 14)
- गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15)
- गरिमा और स्वायत्तता (अनुच्छेद 21) प्रणालीगत बहिष्कार के सामने चिकित्सा नैतिकता मूल्य-तटस्थ नहीं रह सकती।

निष्कर्ष भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में ट्रांसजेंडर पुरुषों का अनुभव कानून और व्यवहार, विज्ञान और पूर्वाग्रह, प्रोटोकॉल और करुणा के बीच गहरे तनाव को उजागर करता है। हालांकि क्रमिक प्रगति दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविक सुधार के लिए एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है—जेंडर विविधता को एक समस्या के रूप में देखने के बजाय इसे मानव पहचान की वैध अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता देने की। एक स्वास्थ्य प्रणाली जो अपने सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा करने में विफल रहती है, वह अंततः अपने नैतिक जनादेश में विफल हो जाती है। जेंडर-अफर्मिंग केयर सुनिश्चित करना दान का विषय नहीं है, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य और व्यावसायिक अखंडता का विषय है।

IAS-PCS Institute

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

GS पेपर II – **राजनीति, शासन और सामाजिक न्याय प्रश्न 1. (10 अंक | 150 शब्द)** संवैधानिक मान्यता और वैधानिक संरक्षण के बावजूद, भारत में ट्रांसजेंडर पुरुष स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। कारणों की जांच करें और जेंडर-अफर्मिंग स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं। **उपयोग करने के लिए कीवर्ड:** अनुच्छेद 21, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019, स्वास्थ्य शासन, गरिमा, सकारात्मक कार्रवाई।

प्रश्न 2. (15 अंक | 250 शब्द) "स्वास्थ्य सेवा वह स्थल है जहाँ संवैधानिक नैतिकता की अक्सर परीक्षा होती है।" भारत में ट्रांसजेंडर पुरुषों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के संदर्भ में, कानून और व्यवहार के बीच के अंतर का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। **शामिल किए जाने वाले आयाम:** नालसा निर्णय, गेटकीपिग बनाम अधिकार-आधारित देखभाल, राज्य और न्यायपालिका की भूमिका, आगे की राह।

Result Mitra रिजल्ट मित्रा

GS पेपर II – **सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य और कमजोर वर्ग) प्रश्न 3. (10 अंक | 150 शब्द)** चर्चा करें कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर पितृसत्तात्मक और हेटेरोनॉर्मेटिव पूर्वाग्रह ट्रांसजेंडर पुरुषों और जेंडर-विविध व्यक्तियों को कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

GS पेपर IV – **नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि प्रश्न 5. (10 अंक | 150 शब्द)** गलत जेंडर संबोधन, देखभाल से इनकार और अनैतिक चिकित्सा पद्धतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करती हैं। चिकित्सा नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के आलोक में इन चिंताओं पर चर्चा करें।

GS पेपर IV – नैतिकता केस स्टडी (Case Study)

केस स्टडी आप प्रगतिशील सामाजिक नीतियों के लिए जाने जाने वाले राज्य के एक बड़े सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) हैं। हाल ही में, एक ट्रांसजेंडर पुरुष हार्मोन थेरेपी और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के लिए स्त्री रोग विभाग में आया। हालांकि:

- कुछ डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि उपचार केवल जेंडर डिस्फोरिया के मनोरोग प्रमाणन के बाद ही शुरू होना चाहिए।
- कुछ कर्मचारी असहज हैं और गलत सर्वनामों (incorrect pronouns) का उपयोग करते हैं।

- आपके अस्पताल में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) नहीं है।
- नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी है कि देखभाल से इनकार करना गरिमा और चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन होगा।
- मामला मीडिया के ध्यान में आया है, और स्वास्थ्य विभाग आपसे रिपोर्ट मांग रहा है।

प्रश्न (a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें। (5 अंक) (b) इस स्थिति में हितधारक (Stakeholders) कौन हैं? (5 अंक) (c) चिकित्सा अधीक्षक के रूप में, आप इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक क्या कदम उठाएंगे? (10 अंक)

मॉडल नैतिक दृष्टिकोण (परीक्षा-उन्मुख संकेत)

IAS-PCS Institute

(a) नैतिक मुद्दे

- रोगी की स्वायत्तता का उल्लंघन
- गरिमा और गैर-भेदभाव से इनकार
- चिकित्सा नैतिकता और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बीच संघर्ष
- उपकार (Beneficence) और अहानिकरता (Non-maleficence) की कमी
- संस्थागत उदासीनता

(b) हितधारक

- ट्रांसजेंडर रोगी
- चिकित्सा पेशेवर
- अस्पताल प्रशासन
- राज्य स्वास्थ्य विभाग
- ट्रांसजेंडर समुदाय
- नागरिक समाज संगठन

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

(c) कार्ययोजना तत्काल उपाय:

- सूचित सहमति के आधार पर उपचार सुनिश्चित करना
- गलत जेंडर संबोधन के विरुद्ध निर्देश जारी करना
- देखभाल के लिए संवेदनशील डॉक्टरों को नियुक्त करना
- अनैतिक परीक्षणों को रोकना

दीर्घकालिक उपाय:

- संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप अस्पताल-स्तरीय SOPs विकसित करना

- अनिवार्य जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण
- सामुदायिक प्रतिनिधियों को शामिल करना
- समय-समय पर ऑडिट और शिकायत निवारण
- स्वास्थ्य विभाग को नीति सुधार की सिफारिश करना

नैतिक औचित्य:

- अनुच्छेद 21 - गरिमा को बनाए रखता है
- चिकित्सा नैतिकता का पालन करता है
- संवैधानिक नैतिकता को दर्शाता है
- समावेशी संस्थानों का निर्माण करता है

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806